राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुरजा बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/2025	454/2018 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो।	
01/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम भाबरु के साबिक खसरा नम्बर 74 रकबा 1 बीघा 3 बिसवा, 75 रकबा 6 बिसवा, 76 रकबा 10 बिसवा, 79 रकबा 12 बिसवा, 93 रकबा 1 बीघा कुल किला 5 रकबा 3 बीघा 11 बिसवा की खातेदारी पूर्व में छोटेलाल पुत्र रामनाथ व छोटेलाल पुत्र रामनारायण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। उक्त साबिक खसरा नम्बरान से हाल सैटलमेंट में नये खसरा नम्बर 1127/0.25, 1128/0.07. 1129/0.02 1130/0.16, 1136/0.23 हैक्टेयर किता 5 कुल रकबा 0.73 हैक्टेयर बनाये गये, जिनकी खातेदारी वादी व उसके पिता सीत्ता उर्फ सीताराम बहिस्सा 1/2-1/2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सीत्ता उर्फ सीताराम फौत हो चुका है, जिसके वाद एवं तरतीबी प्रतिवादीगण वारिसान है तथा उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति पर काबिज है। साबिक खरारा नम्बर 73 रकबा 4 बीघा 4 बिसवा बंजड दोयम सिंचायचक ग्राम भाबरू के हाल सैटलमेंट में नये खसरा नम्बर 1119/1.06. 1126/0.33 बनाये गये है। ग्राम भाबरू से नया राजस्व ग्राम ढाणी गैसकान बना है, जिसमें खसरा नम्बर 1119 को ढाणी गैसकान में स्थित होना दर्ज किया गया है। साविक खसरा नम्बर 74, 75, 76, 79. 93 को वादी एवं उसके पिता सीत्ता उर्फ सीताराम ने उसके पूर्व खातेदारों को पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर जुबानी खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है, वर्तमान मे भी वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त आराजी से बने हाल खसरा नम्बरान एवं खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर में से 0.16 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है। वर्तमान सैटलमेंट में साबिक खसरा नम्बर 74, 75, 76, 79, 93 के रकबा में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के रकबा 0.16 हैक्टेयर कम कर उक्त 0.16 हैक्टेयर को पूर्व राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति के विपरित खसरा नम्बर 1126 के रकबे में मिला कर गलत रूप से गैर मुमकिन पहाड के रूप में दर्ज कर दिया, जबकि उक्त जगह कोई पहाड नहीं है, अतः काबिल दुरुस्ती है। हाल खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर मे से 0.16 हैक्टेयर भूमि वादी एवं उसके पिता सीत्ता उर्फ सीताराम की खरीदशुदा एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जिसमें वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण ने रिहायश करने एवं पशु आदि बांधने तथा रूपज रखने के लिए खाम	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुरजा बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

घर छप्परपोश बना रखे है। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को सैटलमेंट द्वारा गलत रूप में की गई कार्यवाही को दुरूस्त करवाकर खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर भूमि में से 0.16 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का कानूनी हक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि भू-प्रबन्ध विभाग को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के बिना पूर्व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन / परिवर्धन करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है। अब प्रतिवादीगण, वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर मे से 0.16 हैक्टेयर भूमि से जबरन बेदखल कर सरकारी गोदाम का निर्माण कराने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफल हो गये तो वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को नापूर्ति क्षति होगी एवं उनके हक अधिकारों का हनन होगा। अतः निवेदन है कि ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर में से 0.16 हैक्टेयर का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जाकर अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 1126/0.33 हैक्टेयर मे से 0.16 हैक्टेयर से जबरन बेदखल नहीं करे, क़ब्जा काश्त में दखल नहीं करें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2018 पारित करते हुए वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय में कोई त्रुटी जाहिर नही होती है | इसके अतिरिक्त विवादग्रस्त भूमि का सिवायचक गैरमुमकिन पहाड़ दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्पष्ट है, ऐसेमें कानूनन विवादग्रस्त भूमि खातेदारी अधिकार प्रत्तद करने से प्रतिबन्धित भूमि है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16/05/2018 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर